(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 41/2022

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना कवाई जरिये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ

(सायल)

बनाम

प्रेमनारायण पुत्र जगन्नाथ उम्र 36वर्ष जाति किराड निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, थाना के पीछे सालपुरा थाना कवाई जिला बाराँ

(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– अभियोजन अधिकारी (सायल)

2– श्री मनोज जैन अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 10.04.2023

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल प्रेमनारायण पुत्र जगन्नाथ जाति किराड निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, थाना के पीछे सालपुरा, थाना कवाई जिला बारॉ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना कवाई ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना कवाई क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। गैरसायल जुआ एक्ट, मारपीट, हत्या के प्रयास 3 एससी/एसटी एक्ट के अपराधों का आदि है। इसके विरूद्व पुलिस थाना कवाई में वर्ष 2017 से 2022 तक कुल 04 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(01) एवं भादस(03) के तहत दर्ज हुए है जिसमें से कुल 02 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:55:38 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल के कुल 02 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डे की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावे। इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 02.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जरिये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कवाई में वर्ष 2017 से 2022 तक कुल 04 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(01) एवं भादस(03) के तहत दर्ज हुए है जिसमें से कुल 02 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि गैरसायल के विरूद्व जो आरोप लगाए गए है, वो बिल्कुल मिथ्या है। गैरसायल एक सामाजिक व्यक्ति है, जो अपने परिवार के साथ निवास करता है तथा गैरसायल के 02 पुत्रियां व 01 पुत्र है जिनका पालन–पोषण गैरसायल स्वयं करता है। गैरसायल के अलावा परिवार का पालन–पोषण करने वाला अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। गैरसायल को झूठे प्रकरण में सजायाब किया गया था जो सन् 2002 का था। उसके बाद गैरसायल के विरूद्व 02 अन्य प्रकरण दर्ज हुए है जो रंजिशन दर्ज करवाए गए है, न्यायालय में जैरकार है। गैरसायल द्वारा अपने गांव व समाज में कभी भी किसी व्यक्ति को नाजायज रूप से परेशान नहीं किया गया है क्योंकि गैरसायल स्वयं एक बाल–बच्चे वाला व्यक्ति है। अतः नम्र निवेदन है कि गैरसायल को दोषमुक्त फरमाने की कृपा करें।

प्रकरण मे अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कवाई में वर्ष 2017 से 2022 तक कुल 04 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(01) एवं भादस(03) के तहत दर्ज हुए है। जिनमें कुल 02 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि प्रेमनारायण पुत्र जगन्नाथ जाति किराड निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, थाना के पीछे सालपुरा, थाना कवाई जिला बारॉ द्वारा उक्त अपराध किए गए है जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को कुल 02 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल प्रेमनारायण पुत्र जगन्नाथ जाति किराड निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, थाना के पीछे सालपुरा, थाना कवाई जिला बारॉ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र, कवाई से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूॅ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:55:38 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायल प्रेमनारायण पुत्र जगन्नाथ जाति किराड निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, थाना के पीछे सालपुरा, थाना कवाई जिला बारॉ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना कवाई जिला बारॉ क्षेत्र से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, अटरू जिला बारॉ को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 26.04.2023 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू जिला बारॉ को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना कवाई को तहरीर दी जावे जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना कवाई। क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू जिला बारॉ के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक **10.04.2023** को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:55:38 IST
Reason: SelfAttested